फर्द अहकाम

जयराम वगै0 बनाम उपतहसीलदार मनोहरपुर वगै0
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

केस संख्या :– 10/2025 प्रार्थना–पत्र पत्थरगढ़ी

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
29.10.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि आराजी खसरा नंबर 4209 रकबा 0.81 है0, 4210 रकबा 0.67 है0 किता 2 कुल रकबा 1.48 है0 वाकै ग्राम हनुतपुरा उर्फ रूड़ी, पटवार हल्का खोरालाड़खानी , तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर में स्थित है, जिसकी खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है एवं काबिज काश्त है। उक्त आराजीयात का दिनांक 28.06.2022 को उपतहसीलदार, मनोहरपुर के आदेश क्रमांक/सीमा/72 दिनांक 27.06.2022 की पालना में आराजी खसरा नंबर 4209 रकबा 0.81 है0, 4210 रकबा 0.67 है0 का सीमाज्ञान करवा रखा है, जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न प्रार्थना–पत्र है। प्रार्थीगण द्वारा सीमाज्ञान करवाये जाने के उपरांत भी प्रार्थीगण की उक्त आराजी के दक्षिण दिशा में स्थित आराजी के सह–खातेदार अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 6 व उनके परिवारजन द्वारा प्रार्थीगण की उक्त भूमि की सीमाओं पर जबरन ताकत के बल पर अतिक्रमण कर भूमि की सीमा को काटकर अपनी भूमि में मिलाने की लगातार धमकी प्रार्थीगण को दे रहे है। इस कारण माननीय न्यायालय के समक्ष उक्त प्रार्थना–पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र व प्रार्थना–पत्र 151 सीपीसी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन पत्र लाने के लिये जिस भूमि की प्रार्थी पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है, के चारों दिशाओं के खातेदारान का प्रकरण में पक्षकार बनाया जाकर उनको सुनवाई व जवावदेही साक्ष्य, दस्तावेजात का समुचित अवसर दिया जाना आवश्यक है। आराजी खसरा नंबर 4209, 4210 के दक्षिणी तरफ स्थित हाल खसरा नंबर 4211, 4212, 4212/4343, 4247 दीगर आराजी की खातेदारी अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 6 व कमली, भागली, मनभरी, मीरा, सुशीला पुत्रीया लच्छू, सुणी, सांवली पुत्रीयां साधू के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है व पूर्वी तरफ स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 4208 की खातेदारी नरेश, मनोज, सुरेश, हजारी पि0 बन्शी, उर्मिला, बिदामी पुत्री बंन्शी बलाई के नाम व पश्चिमी तरफ स्थित हाल खसरा नंबर 4234 की खातेदारी सूरज पुत्र रामलाल, रामदेव पुत्र मोहन, बाबूलाल पुत्र बल्ला, घीसा दत्तक पुत्र भूरा, ग्यारसी, नर्बदा पुत्रीया भूरा जाति जाट के नाम दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त खातेदारान को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाये जाने से प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र आवश्यक पक्षकारान के अभाव में इसी अवस्था में खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थीगण के द्वारा यह प्रकरण सीमाज्ञान दिनांक 28.06.2022 के पश्चात यानि अर्सा करीब पौने तीन साल पश्चात पेश किया है, जो प्रथम दृष्ट्या ही मियाद बाहर है, इसलिए भी प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र पत्थरगढ़ी खारिज किये जाने योग्य है। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)	

फर्द अहकाम

जयराम वगै0 बनाम उपतहसीलदार मनोहरपुर वगै0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

केस संख्या :– 10 / 2025 प्रार्थना–पत्र पत्थरगढ़ी

क्र. सं0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	29.10.2025 लगातार	वकील प्रार्थी ने खण्डन में कथन किया कि सीमा विवाद जिस तरफ होगा उसी को पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना–पत्र पत्थरगढी स्वीकार फरमाया जावे एवं पत्थरगढी के आदेश पारित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन एवं अवलोकन उपरांत पत्रावली से यह स्पष्ट जाहिर होता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में आराजी खसरा नंबर 4209, 4210 के चारों ओर लगते हुए आराजी खसरा नंबरान के खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है, जो कि प्रकरण की परिस्थिति को देखते हुए पडौसी खातेदारान् को आवश्यक पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित है। वकील अप्रार्थी के कथनों से न्यायालय सहमत है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढ़ी संबंधित कानूनी प्रावधानों की पूर्ति नहीं करने से तथा आवश्यक तथ्यों का अभाव होने से एवं पडौसी खातेदारान्, जो कि आवश्यक पक्षकार है, को पक्षकार नही बनाये जाने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढ़ी न्यायिक दृष्टि से खारिज योग्य पाया जाता है। अतः प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढ़ी खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला–जयपुर (राज.)